(d) The Social Welfare Department of Government of National Capital Territory Delhi expressed the desire to get the biscuits tested in a Government laboratory.

(e) Super Bazar has reported that all goods, particularly, edible items sold in Super Bazar are tested for their quality at pre-purchase and post-purchase stage before these are sent to the sale counters.

(f) and (g) From January, 1993 to December, 1993, 7370 samples were tested, out of which 1078 were rejected on account of being sub-standard. A statement indicating the details is at the statement.

Statement

Total Number of Samples Analysed in the Laboratory during the Period January 1993 to December 1993

Month	Total	Rejected
January . .	728	179
February . .	623	65
March . .	624	64
April . .	657	62
May . .	614	91
June . .	632	99
July . .	611	44
August .	574	112
September . .	575	100
October . .	592	73
November .	504	48
December . .	636	141
TOTAL .	7,370	1078

This includes Pulses, Cereals, Atta, Spices, Sugar, Salt, Dry fruits, Papad, Namkeen, Canned products, Milk & Milk products, Toiltries, Polythene Disinfectants, Deodarants, Cosmetics.

कोयले की ढुलाई से प्रभावित सड़कों को सुदृढ़/चौड़ा किया जाना

@1845. **श्री जगन्नाथ सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कोयला मन्त्रालय को, मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग से सड़कों को जिनकी लम्बाई 2950 कि०मी० है और जो कोयले की ढुलाई से प्रभावित हुई हैं, सुदृढ़ और चौड़ा करने हेतु 200 करोड़ रुपये का प्राक्कलन (एस्टीमेट्स) वित्तीय स्वीकृति के लिए प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्तावों के लिए कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से मई, 1982 में 202.99 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से सड़कों को चौड़ा करने तथा सुदृढ़ करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उन्हें, अनुमानों को 1985 में अद्यतन करने के लिये कहा गया था। मई, 1986 में संशोधन अनुमान प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य की सड़कों के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने आन्तरिक स्रोतों से निधियां जुटाने के अतिरिक्त सम्बन्धित राज्य कोयला उत्पादन पर रायल्टी तथा अन्य कर लगाकर यथेष्ट मात्रा में राजस्व एकत्र करती हैं इसलिए उन्हें स्वयं ही कोयला धारी क्षेत्र में स्थित सड़कों सहित सड़कों के निर्माण के लिए निधियां जुटाने चाहिएं।

गुजरात में कोयले की मांग और पूर्ति

1846. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की गुजरात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये 1994-95 के

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न सं० 1241, 2-3-1994 से स्थानांतरित।

दौरान जिले-वार कोयले की कितनी-कितनी मात्रा का आवंटन करने की योजना है ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात को केन्द्रीय पूल से किया गया कोयले का वार्षिक आवंटन कम है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई प्रति अभ्यावेदन दिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) कोयले की आवश्यकता का राज्य-वार या जिला-वार मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उनका समग्र देश के लिए उद्योग/क्षेत्र-वार मूल्यांकन किया जाता है। कोल इंडिया लि० सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई प्रायोजकता के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यक्रमों के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता है। विद्युत तथा सीमेंट एककों को स्थाई संयोजित समिति द्वारा इन क्षेत्रों के लिए अल्पकालीन संयोजन के आधार पर आपूर्ति की जाती है।

गुजरात में कोल इंडिया लि० से कोयला उपभोक्ताओं को कोयले के प्रेषण में निरन्तर वृद्धि होती रही है जो कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है :

(आंकड़े हजार टन में)

1990-91	14655
1991-92	15179
1992-93	15320

कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आपूर्ति अधिक हो सकती थी, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा रेल कार्यक्रमों के रद्द/निलम्बन करने के कारण अधिक आपूर्ति नहीं की जा सकती।

कोयले/कोक के अतिरिक्त नियतन के लिए किसी भी अनुरोध पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर विचार/जांच की जाती है। वर्तमान में कोल इंडिया लि० गुजरात से लगभग समस्त अकोककर कोयला की मांग, साफ्ट कोक/हार्ड कोक को छोड़कर, को पूरा करने की स्थिति में है।

कोयला खानों में प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी

1847. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से भूमिगत खानों में प्रति व्यक्ति कोयले का उत्पादन घट रहा है ; यदि हां, तो कम उत्पादकता के क्या कारण हैं ; और

(ख) कोयले के प्रति व्यक्ति उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमिगत खानों में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। किन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना में भूमिगत खानों की उत्पादकता में वृद्धि पर बल दिये जाने के लिये इस क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया गया है।

भूमिगत कोयला खानों की उत्पादकता में सुधार लाये जाने के लिये कुछ निम्न उपाय किए गए हैं—श्रमशक्ति प्रबन्धन में सुधार, उच्च क्षमता वाले उपकरणों का प्रयोग, नई प्रोद्योगिकी की शुरुआत किया जाना, उपकरणों की उपलब्धता तथा उपयोगिता में सुधार और भूमिगत खानों के क्रियाकलापों में सुधार लाया जाना।